राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 181 अगस्त 2014 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने पहले भाषण में समूचे देश में शौचालयों का निर्माण करने की आवश्यकता की जोरदार वकालत की ताकि इस घृणित वास्तविकता कि अधिकांश महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, से छुटकारा मिल सके। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर के बजाय अधिक संख्या में शौचालय बनाए जाने की आवश्यकता है।

यूनीसेफ द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 60% लोग जो खुले में शौच करते हैं, भारत से हैं। 70% ग्रामीण भारतीय परिवारों के पास शौचालय की सुविधाएं नहीं हैं और शहरी क्षेत्रों में पांच परिवारों में से एक के पास घर में सफाई की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के एक बड़े प्रतिशत को, जिन्हें शौच जाने के लिए रात का इंतजार करने को मजबूर होना पड़ता है, यौनाचार के खतरे का सामना करना पड़ता है।

यद्यपि हम बालिका की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हैं, इसे अभी भी हमारे पुरुष प्रधान समाज में प्राथमिकता नहीं दी जाती है और सफाई की व्यवस्था न होने से यह और भी कम हो जाती है।

चर्चा में — शौचालय का निर्माण

शिक्षा पर अधिकार मंच की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 40% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है। लगभग 23% लड़कियां रजस्वला की स्थिति पर पहुंचने पर स्कूल छोड़ देती हैं और लगभग 66% लड़कियां हर महीने मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जाती हैं और उनमें से एक तिहाई लड़कियां इसके फलस्वरूप स्कूल छोड़ देती हैं।

इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों और कॉरपोरेट सेक्टर को देश के स्कूलों में लड़कियों के लिए पृथक शौचालय बनाने का अनुरोध किया। कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थानों ने इस मिशन को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाया। ग्रामीण सफाई पर अपना योगदान देने के प्रधानमंत्री के आवाहन पर अनेक कंपनियों ने शौचालय निर्माण को अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों में मुख्य मुद्दा बनाया। सांसदों ने भी दलगत से ऊपर उठकर भारत को खुले में शौच करने से मुक्त करने के प्रधानमंत्री के आवाहन का समर्थन किया।

तथापि, केवल शौचालयों के निर्माण से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक उनका ठीक ढ़ंग से रखरखाव नहीं होगा। उनके उचित रखरखाव के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए और शौचालयों की स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित स्टॉफ की नियुक्ति की जानी चाहिए।

अनुकरणीय कार्य

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में छः नवविवाहित महिलाएं खेतों में शौच के लिए जाने के बजाए अपनी ससुराल छोड़कर चली गई। प्रत्येक घर में एक शौचालय होने के प्रधानमंत्री के आवाहन पर इन नवविवाहितों ने अपनी ससुराल के घरों में आधारभूत सुविधा के न होने पर विरोध जताया और शादी के कुछ ही सप्ताह के अंदर अपने माता-पिता के यहां लौट जाने का निर्णय किया।

जुलाई, 2014 में प्राप्त शिकायतों की स्थिति

लिखित में प्राप्त शिकायतें

महीना	अथ शेष (पिछले महीने के लंबित)	प्राप्त शिकायतें	शिकायतों की संख्या जिन पर जिन पर कार्रवाई की गई		कार्रवाई के लिए लंबित शिकायतें
			पिछला	वर्तमान	
जुलाई 2014	22	3075	14	2933	150

आयोग ने 15 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

साइबर अपराधों पर परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने "भारत में साइबर अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा के तरीके" पर नई दिल्ली में एक परामर्श सत्र का आयोजन किया। आयोग को महिलाओं से बेहूदे अथवा अश्लील संदेश, फेसबुक अकाउंट की हैकिंग, अश्लील वीडियो की अपलोडिंग, तस्वीरों की मार्फिंग आदि के बारे में शिकायतें मिलती हैं।

सदस्या सचिव डॉ. नंदिता चटर्जी स्वागत भाषण देती हुई

जैसाकि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और उसका संशोधित संस्करण (2008) मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी के उपयोग और दुरुपयोग के वाणिज्यिक पहलुओं से संबंधित हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिनियम को वृहत परिप्रेक्ष्य में नए रूप से देखने की पहल की है ताकि कानून की नई धाराओं को वर्तमान

प्रतिभागियों का एक वर्ग

कानूनों में शामिल किया जा सके जिससे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों की विस्तृत श्रृंखला को इसके अंतर्गत लाया जा सके।

परामर्श सत्र को चार सत्रों में विभाजित किया गया था जो साइबर अपराधों के स्वरूप के साथ, कानूनी उपबंध, सोशल मीडिया की भूमिका जैसे मुद्दों से संबंधित है। चौथा सत्र सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बारे में है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल लॉ स्कूल से विशेषज्ञों के एक पैनल, सोशल मीडिया, न्यायाधीशों, एडवोकेटों, विद्वानों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।

परामर्श सत्र से मिलने वाली सिफारिशों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्णय

❖ केन्द्र ने सभी राज्य सरकारों को जोर देकर कहा कि वे महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा और अपराधों के मामलों से प्रभावी रूप से निबटने के लिए पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करें।

❖ एक महत्वपूर्ण आदेश में मुम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी विवाहित पुत्री अपने माता-पिता के परिवार का भाग बनी रहेगी। एक दो-सदस्यीय पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि महाराष्ट्र के नियम, जो विवाहित पुत्री के साथ भेदभाव बरतते हैं और उसे 'परिवार' अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर करते हैं, असंवैधानिक है और मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं।

❖ केन्द्र ने अर्द्ध-सैनिक बलों के लड़ाकू रैंक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इन बलों में 10,000 महिलाओं की भर्ती को मंजूरी दी है। इससे महिलाओं को फील्ड ड्यूटीज पर तैनात किया जा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए धन स्वीकृत किया जाएगा। इस समय अर्द्ध-सैनिक बलों में महिलाओं की संख्या लगभग 1% है जिसे 5% करने का लक्ष्य है।

❖ सभी महिला कर्मचारियों को एक बड़ा लाभ देने के लिए और जो लंबे समय के लिए स्टडी अवकाश में जाती हैं, सरकार ने सेवा के दौरान बढ़ाई गई मातृत्व अवकाश और सैबेटिकल पीरियड को पदोन्नति के लिए वरिष्ठताक्रम में जोड़ने का निर्णय किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति, अन्य वैज्ञानिक पद के लिए विदेश सेवा में लगाई गई अवधि और स्टडी लीव की अवधि, शैक्षणिक अर्हताओं में सुधार के लिए अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश जारी रखने के लिए स्वीकृत अवकाश और अर्जित अवकाश को पदोन्नति के लिए 'न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि' की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा। अल्पवयस्क बच्चों वाली महिलाएं देखभाल अवकाश के रूप में दो वर्ष का अवकाश ले सकती हैं।

विशेषज्ञ समिति की बैठक

पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं की कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 31.7.2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस हॉल मे हुई।

अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याएं और अधिकारी, विशेषज्ञ समिति की सदस्याएं, पूर्वोत्तर राज्य महिला आयोगों की प्रतिनिधियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के निदेशक ने बैठक में भाग लिया।

इस अवसर पर बोलती हुई, सदस्या ललडिंगलियानी साइलो ने पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों, जिसमें सामाजिक-सांस्कृतिक कारक शामिल हैं जिसके कारण महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं, को सारांश में बताया।

विचारार्थ विषय में शामिल है - महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए नीतिगत सिफारिशें, वर्तमान नीतियों और स्कीमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नीतिगत स्तर पर परिवर्तन करना और नीतिगत स्तर पर परिवर्तन करना और महिलाओं के विकास और सुरक्षा से संबंधित पारंपरिक कानूनों और अन्य पहलुओं का पुनरीक्षण। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने उनके अपने-अपने राज्यों में महिलाओं से संबंधित स्थिति रिपोर्टों को प्रस्तुत किया।

समिति ने निम्न कार्यवाही योजना के बारे में निर्णय लिया - प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य एक उप-समिति गठित करेगी जिसमें (अधिकतम छः सदस्य) सामाजिक कार्यकर्ता, विधि विशेषज्ञ, विद्वतजन आदि

विशेषज्ञ समिति की बैठक

होंगे। उप-समिति प्रत्येक राज्य के मुद्दों और हित से संबंधित प्रश्नावलि तैयार करेगी और अनुमोदन के लिए मदवार बजट के साथ एक महीने के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करेगी। मुख्य विशेषज्ञ समिति उप-समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए तीन महीने के बाद पुनः मिलेगी और 8 महीने के अंदर उप-समितियों की रिपोर्टों के आधार पर एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार करेगी और टिप्पणियों के लिए, यदि कोई है, प्रत्येक उप-समिति को परिचालित करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त सुझावों पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 9 महीने के अंदर सरकारों को भेज दी जाएगी।

अध्यक्षा द्वारा पद त्याग करना

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा द्वारा 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के उपरान्त 1 अगस्त को पद त्याग दिया गया था। मीडिया से बात करते समय उन्होंने पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए विभिन्न कार्य गिनाए। श्रीमती शर्मा ने इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका भी जारी की।

अध्यक्षा और सदस्या वलीखन्ना की विदाई समारोह

इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सरकार और मीडिया महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए साथ मिलकर सकारात्मक ढंग से कार्य करें और उनके सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने नए कानूनों की सिफारिश की, बलात्कार पर यौनाचार विधेयक और महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया, राज्य महिला आयोगों के साथ नेट से जुड़े, महिला संबंधित मुद्दों पर परामर्श सत्र और सेमिनार आयोजित किए और पुलिस और न्यायपालिका के लिए अनेक जागरूकता संवेदनशीलता के कार्यक्रम आयोजित किए।

सदस्या डॉ. चारु वलीखन्ना ने भी अपना कार्यकाल पूरा होने पर अध्यक्षा के साथ पद त्याग दिया। एक अत्यन्त सक्रिय सदस्या होने के नाते उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या एडवोकेट निर्मला सामन्त प्रभावलकर एक महिला के मामले की, जो उसके पति से उसकी लड़की के लिए भरण-पोषण दिलाने से संबंधित था, सुनवाई को अंतिम रूप देने के लिए मुम्बई गई। ● सदस्या गुजरात में बडोदरा के केन्द्रीय जेल के महिला कारागार में गई। वहां 124 महिला कैदी थी जिन्हें नए निर्मित इमारत के 10 वार्ड में रखा गया था। इमारत साफ-सुथरी है और कैदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है और उन्हें उचित खाना-पीना और कानूनी सहायता दी जाती है। महिला कैदियों के लिए वयस्क साक्षरता क्लासेस, कम्प्यूटर क्लासेस और व्यावसायिक कोर्सेस भी चलाए जाते हैं।

❖ सदस्या हेमलता खेरिया बगुचघाट के मालवाबार मुसाहर बस्ती में मां सावित्री बाई फूले महिला स्वावलंबन केन्द्र का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला गई। यह केन्द्र वैकल्पिक रोजगार दक्षता का प्रशिक्षण देता है और सामाजिक बुराईयों और अंधविश्वास का निवारण करता है। ● उन्होंने दलित और महा दलित समुदाय की महिलाओं के साथ बातचीत भी की। ● बाद में, वह मालवाबार मुसाहर बस्ती और उदयपुर के अन्य गांवों में गई और मुसाहर समुदाय की गरीबी देखी जो दलितों में सबसे अधिक हाशिए में रहने वाले लोग हैं। उन्होंने उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आयोग की सहायता देने का आश्वासन दिया। ● सदस्या खेरिया दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए सामाजिक विकास फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मुख्य अतिथि थी। मुसाहर, चमर, पासी, नोनिया, तुरहा, देवन और कलंदर समुदाय की महिलाओं ने सुनवाई में भाग लिया। उन्होंने उनके ध्यान में लाए गए मुद्दों को सुना और उपचारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। ● सदस्या ने हिमाचल प्रदेश के माननीया राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश के महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

सदस्या हेमलता खेरिया मुसाहर के गांव वालों के साथ

सदस्या शमीना शफीक Oubler.com का आरम्भ करती हुई

❖ सदस्या शमीना शफीक ने लखनऊ में 'महिलाओं को हिंसा से मुक्त करना' विषय पर आयोजित पांचवे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कांफ्रेंस में भाषण दिया। इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां युवाओं को उनके नवीन विचार, उत्साहपूर्ण कार्यशैली और हार न मानने के लिए जाना जाता है। उन्हें परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए जिन्हें महिलाओं को हिंसा से मुक्त करने और महिला बराबरी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समाज की सोच को बदलने के कार्य में लगना चाहिए। ● श्रीमती शफीक सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमैन स्टडीज के आंतरिक परामर्शदात्री निगरानी और मूल्यांकन समिति की बैठक में उपस्थित हुई। ● सदस्या इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक सोशल नेटवर्किंग साईट Oubler.com को आरम्भ करने के अवसर पर उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि इस सोशल नेटवर्किंग साईट को सभी मामलों में महिलाओं को सशक्त बनाने में शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए।

महिलाओं के लिए हैलमेट पहनना अनिवार्य घोषित

दिल्ली सरकार ने दो पहिया वाहनों की सवारी करने वाली महिलाओं के लिए हैलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। तथापि सिख महिलाओं को धार्मिक आधार पर इससे छूट दी गई है।

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, वर्ष 2012 में नगर में 576 दो पहिया सवारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौत का मुख्य कारण सिर की चोट थी; यदि पीड़ितों ने हैलमेट पहना होता तो उनमें से अनेकों की जान बच जाती अथवा से कम घायल होते।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।

राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 181 अगस्त 2014

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने पहले भाषण में समूचे देश में शौचालयों का निर्माण करने की आवश्यकता की जोरदार वकालत की ताकि इस घृणित वास्तविकता कि अधिकांश महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, से छुटकारा मिल सके। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर के बजाय अधिक संख्या में शौचालय बनाए जाने की आवश्यकता है।

यूनीसेफ द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 60% लोग जो खुले में शौच करते हैं, भारत से हैं। 70% ग्रामीण भारतीय परिवारों के पास शौचालय की सुविधाएं नहीं हैं और शहरी क्षेत्रों में पांच परिवारों में से एक के पास घर में सफाई की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के एक बड़े प्रतिशत को, जिन्हें शौच जाने के लिए रात का इंतजार करने को मजबूर होना पड़ता है, यौनाचार के खतरे का सामना करना पड़ता है।

यद्यपि हम बालिका की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हैं, इसे अभी भी हमारे पुरुष प्रधान समाज में प्राथमिकता नहीं दी जाती है और सफाई की व्यवस्था न होने से यह और भी कम हो जाती है।

चर्चा में — शौचालय का निर्माण

शिक्षा पर अधिकार मंच की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 40% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है। लगभग 23% लड़कियां रजस्वला की स्थिति पर पहुंचने पर स्कूल छोड़ देती हैं और लगभग 66% लड़कियां हर महीने मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जाती हैं और उनमें से एक तिहाई लड़कियां इसके फलस्वरूप स्कूल छोड़ देती हैं।

इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों और कॉरपोरेट सेक्टर को देश के स्कूलो में लड़कियों के लिए पृथक शौचालय बनाने का अनुरोध किया। कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थानों ने इस मिशन को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाया। ग्रामीण सफाई पर अपना योगदान देने के प्रधानमंत्री के आवाहन पर अनेक कंपनियों ने शौचालय निर्माण को अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों में मुख्य मुद्दा बनाया। सांसदों ने भी दलगत से ऊपर उठकर भारत को खुले में शौच करने से मुक्त करने के प्रधानमंत्री के आवाहन का समर्थन किया।

तथापि, केवल शौचालयों के निर्माण से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक उनका ठीक ढ़ंग से रखरखाव नहीं होगा। उनके उचित रखरखाव के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए और शौचालयों की स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित स्टॉफ की नियुक्ति की जानी चाहिए।

अनुकरणीय कार्य

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में छः नवविवाहित महिलाएं खेतों में शौच के लिए जाने के बजाए अपनी ससुराल छोड़कर चली गई। प्रत्येक घर में एक शौचालय होने के प्रधानमंत्री के आवाहन पर इन नवविवाहितों ने अपनी ससुराल के घरों में आधारभूत सुविधा के न होने पर विरोध जताया और शादी के कुछ ही सप्ताह के अंदर अपने माता-पिता के यहां लौट जाने का निर्णय किया।

जुलाई, 2014 में प्राप्त शिकायतों की स्थिति

लिखित में प्राप्त शिकायतें

महीना	अथ शेष (पिछले महीने के लंबित)	प्राप्त शिकायतें	शिकायतों की संख्या जिन पर जिन पर कार्रवाई की गई		कार्रवाई के लिए लंबित शिकायतें
			पिछला	वर्तमान	
जुलाई 2014	22	3075	14	2933	150

आयोग ने 15 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

साइबर अपराधों पर परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने "भारत में साइबर अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा के तरीके" पर नई दिल्ली में एक परामर्श सत्र का आयोजन किया। आयोग को महिलाओं से बेहूदे अथवा अश्लील संदेश, फेसबुक अकाउंट की हैकिंग, अश्लील वीडियो की अपलोडिंग, तस्वीरों की मार्फिंग आदि के बारे में शिकायतें मिलती हैं।

सदस्या सचिव डॉ. नंदिता चटर्जी स्वागत भाषण देती हुई

जैसाकि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और उसका संशोधित संस्करण (2008) मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी के उपयोग और दुरुपयोग के वाणिज्यिक पहलुओं से संबंधित हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिनियम को वृहत परिप्रेक्ष्य में नए रूप से देखने की पहल की है ताकि कानून की नई धाराओं को वर्तमान

प्रतिभागियों का एक वर्ग

कानूनों में शामिल किया जा सके जिससे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों की विस्तृत श्रृंखला को इसके अंतर्गत लाया जा सके।

परामर्श सत्र को चार सत्रों में विभाजित किया गया था जो साइबर अपराधों के स्वरूप के साथ, कानूनी उपबंध, सोशल मीडिया की भूमिका जैसे मुद्दों से संबंधित है। चौथा सत्र सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बारे में है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल लॉ स्कूल से विशेषज्ञों के एक पैनल, सोशल मीडिया, न्यायाधीशों, एडवोकेटों, विद्वानों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।

परामर्श सत्र से मिलने वाली सिफारिशों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्णय

❖ केन्द्र ने सभी राज्य सरकारों को जोर देकर कहा कि वे महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा और अपराधों के मामलों से प्रभावी रूप से निबटने के लिए पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करें।

❖ एक महत्वपूर्ण आदेश में मुम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी विवाहित पुत्री अपने माता-पिता के परिवार का भाग बनी रहेगी। एक दो-सदस्यीय पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि महाराष्ट्र के नियम, जो विवाहित पुत्री के साथ भेदभाव बरतते हैं और उसे 'परिवार' अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर करते हैं, असंवैधानिक है और मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं।

❖ केन्द्र ने अर्द्ध-सैनिक बलों के लड़ाकू रैंक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इन बलों में 10,000 महिलाओं की भर्ती को मंजूरी दी है। इससे महिलाओं को फील्ड ड्यूटीज पर तैनात किया जा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए धन स्वीकृत किया जाएगा। इस समय अर्द्ध-सैनिक बलों में महिलाओं की संख्या लगभग 1% है जिसे 5% करने का लक्ष्य है।

❖ सभी महिला कर्मचारियों को एक बड़ा लाभ देने के लिए और जो लंबे समय के लिए स्टडी अवकाश में जाती हैं, सरकार ने सेवा के दौरान बढ़ाई गई मातृत्व अवकाश और सैबेटिकल पीरियड को पदोन्नति के लिए वरिष्ठताक्रम में जोड़ने का निर्णय किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति, अन्य वैज्ञानिक पद के लिए विदेश सेवा में लगाई गई अवधि और स्टडी लीव की अवधि, शैक्षणिक अर्हताओं में सुधार के लिए अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश जारी रखने के लिए स्वीकृत अवकाश और अर्जित अवकाश को पदोन्नति के लिए 'न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि' की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा। अल्पवयस्क बच्चों वाली महिलाएं देखभाल अवकाश के रूप में दो वर्ष का अवकाश ले सकती हैं।

विशेषज्ञ समिति की बैठक

पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं की कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 31.7.2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस हॉल मे हुई।

अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याएं और अधिकारी, विशेषज्ञ समिति की सदस्याएं, पूर्वोत्तर राज्य महिला आयोगों की प्रतिनिधियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के निदेशक ने बैठक में भाग लिया।

इस अवसर पर बोलती हुई, सदस्या ललडिंगलियानी साइलो ने पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों, जिसमें सामाजिक-सांस्कृतिक कारक शामिल हैं जिसके कारण महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं, को सारांश में बताया।

विचारार्थ विषय में शामिल है - महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए नीतिगत सिफारिशें, वर्तमान नीतियों और स्कीमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नीतिगत स्तर पर परिवर्तन करना और नीतिगत स्तर पर परिवर्तन करना और महिलाओं के विकास ओर सुरक्षा से संबंधित पारंपरिक कानूनों और अन्य पहलुओं का पुनरीक्षण। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने उनके अपने-अपने राज्यों में महिलाओं से संबंधित स्थिति रिपोर्टों को प्रस्तुत किया।

समिति ने निम्न कार्यवाही योजना के बारे में निर्णय लिया - प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य एक उप-समिति गठित करेगी जिसमें (अधिकतम छः सदस्य) सामाजिक कार्यकर्ता, विधि विशेषज्ञ, विद्वतजन आदि

विशेषज्ञ समिति की बैठक

होंगे। उप-समिति प्रत्येक राज्य के मुद्दों और हित से संबंधित प्रश्नावलि तैयार करेगी और अनुमोदन के लिए मदवार बजट के साथ एक महीने के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करेगी। मुख्य विशेषज्ञ समिति उप-समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए तीन महीने के बाद पुनः मिलेगी और 8 महीने के अंदर उप-समितियों की रिपोर्टों के आधार पर एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार करेगी और टिप्पणियों के लिए, यदि कोई है, प्रत्येक उप-समिति को परिचालित करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त सुझावों पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 9 महीने के अंदर सरकारों को भेज दी जाएगी।

अध्यक्षा द्वारा पद त्याग करना

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा द्वारा 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के उपरान्त 1 अगस्त को पद त्याग दिया गया था। मीडिया से बात करते समय उन्होंने पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए विभिन्न कार्य गिनाए। श्रीमती शर्मा ने इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका भी जारी की।

अध्यक्षा और सदस्या बलीखन्ना की विदाई समारोह

इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सरकार और मीडिया महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए साथ मिलकर सकारात्मक ढंग से कार्य करें और उनके सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने नए कानूनों की सिफारिश की, बलात्कार पर यौनाचार विधेयक और महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया, राज्य महिला आयोगों के साथ नेट से जुड़े, महिला संबंधित मुद्दों पर परामर्श सत्र और सेमिनार आयोजित किए और पुलिस और न्यायपालिका के लिए अनेक जागरूकता संवेदनशीलता के कार्यक्रम आयोजित किए।

सदस्या डॉ. चारु बलीखन्ना ने भी अपना कार्यकाल पूरा होने पर अध्यक्षा के साथ पद त्याग दिया। एक अत्यन्त सक्रिय सदस्या होने के नाते उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या एडवोकेट निर्मला सामन्त प्रभावलकर एक महिला के मामले की, जो उसके पति से उसकी लड़की के लिए भरण-पोषण दिलाने से संबंधित था, सुनवाई को अंतिम रूप देने के लिए मुम्बई गईं। ● सदस्या गुजरात में बडोदरा के केन्द्रीय जेल के महिला कारागार में गईं। वहां 124 महिला कैदी थी जिन्हें नए निर्मित इमारत के 10 वार्ड में रखा गया था। इमारत साफ-सुथरी है और कैदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है और उन्हें उचित खाना-पीना और कानूनी सहायता दी जाती है। महिला कैदियों के लिए वयस्क साक्षरता क्लासेस, कम्प्यूटर क्लासेस और व्यावसायिक कोर्सेस भी चलाए जाते हैं।

❖ सदस्या हेमलता खेरिया बगुचघाट के मालवाबार मुसाहर बस्ती में मां सावित्री बाई फूले महिला स्वावलंबन केन्द्र का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला गईं। यह केन्द्र वैकल्पिक रोजगार दक्षता का प्रशिक्षण देता है और सामाजिक बुराईयों और अंधविश्वास का निवारण करता है। ● उन्होंने दलित और महा दलित समुदाय की महिलाओं के साथ बातचीत भी की। ● बाद में, वह मालवाबार मुसाहर बस्ती और उदयपुर के अन्य गांवों में गईं और मुसाहर समुदाय की गरीबी देखी जो दलितों में सबसे अधिक हाशिए में रहने वाले लोग हैं। उन्होंने उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आयोग की सहायता देने का आश्वासन दिया। ● सदस्या खेरिया दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए सामाजिक विकास फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मुख्य अतिथि थी। मुसाहर, चमर, पासी, नोनिया, तुरहा, देवन और कलंदर समुदाय की महिलाओं ने सुनवाई में भाग लिया। उन्होंने उनके ध्यान में लाए गए मुद्दों को सुना और उपचारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। ● सदस्या ने हिमाचल प्रदेश के माननीया राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश के महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

सदस्या हेमलता खेरिया मुसाहर के गांव वालों के साथ

सदस्या शमीना शफीक Oubler.com का आरम्भ करती हुई

❖ सदस्या शमीना शफीक ने लखनऊ में 'महिलाओं को हिंसा से मुक्त करना' विषय पर आयोजित पांचवे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कांफ्रेंस में भाषण दिया। इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां युवाओं को उनके नवीन विचार, उत्साहपूर्ण कार्यशैली और हार न मानने के लिए जाना जाता है। उन्हें परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए जिन्हें महिलाओं को हिंसा से मुक्त करने और महिला बराबरी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समाज की सोच को बदलने के कार्य में लगना चाहिए। ● श्रीमती शफीक सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमैन स्टडीज के आंतरिक परामर्शदात्री निगरानी और मूल्यांकन समिति की बैठक में उपस्थित हुई। ● सदस्या इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक सोशल नेटवर्किंग साईट Oubler.com को आरम्भ करने के अवसर पर उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि इस सोशल नेटवर्किंग साईट को सभी मामलों में महिलाओं को सशक्त बनाने में शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए।

महिलाओं के लिए हैलमेट पहनना अनिवार्य घोषित

दिल्ली सरकार ने दो पहिया वाहनों की सवारी करने वाली महिलाओं के लिए हैलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। तथापि सिख महिलाओं को धार्मिक आधार पर इससे छूट दी गई है।

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, वर्ष 2012 में नगर में 576 दो पहिया सवारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौत का मुख्य कारण सिर की चोट थी; यदि पीड़ितों ने हैलमेट पहना होता तो उनमें से अनेकों की जान बच जाती अथवा से कम घायल होते।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।